महिलाओं के साथ असमानता / भेदभाव की समस्या
Problem of Disparity with Women

लैंगिक विषमता

प्रा.डॉ.बी.एल. म्हस्के

राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालय,

जालना.

प्रस्तावना :

महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार का भेदभाव उत्पीदमन एंव हिन्सा की समस्या कोई नई बात नही है। भारत में महिलाऐ इतने लम्बे समय से यातना, अवमानना एंव शोषण शिकार रही है। जितने काल के हमारे समक्ष सामाजिक संगठण एंव परिवारीक जीवन के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। वर्तमान काम में यद्यापी समाज में महिलाओं की दशामें महत्वपुर्ण सुधारात्मक परिवर्तन हुअे हैं।

उद्देश : १. सामाजिक अधिकारों की चेतना

२. राजनैतिक अधिकारो की चेतना

३. आर्थिक अधिकारों की चेतना

परिवारमें निर्णय लेने के बारें मे महिलांओं की भूमिका आज भी किनारे की ही होती है। पत्नी के साथ प्राय: पति महत्वपूर्ण विषयोंपर नही बल्की महत्व ही विषयोंपर ही सलाह मश्विारा करते हैं।

लगभग दोतिहाई महिलाओं आजभी अपने वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन से संतुष्ट रहती है।

पति एंव पत्नी के बीच दाम्पत्य—सम्बधो का कोई महत्वपूर्ण स्थान नही बन सका है।

महिलाओं की परिवार में स्थिती कुष्ठग्रस्त न होकर जीवन अनुभवों के बीच सन्तोष भी होती है। घरेलू कार्योंसे सन्तुष्टी का स्तर आयु. शिक्षा और आय के साथ परिवर्तीत होता रहता है। बहुत कम महिलाओ को आपने राजनितिक अधिकारोकी जानकारी है। महिलाओ व्दारा मतदान का व्यवहार न तो राजनैतिक गतिशिलता से और न ही राजनैतिक सामाजिकरण से संलग्न होता है, बल्कि यह तो अपने पती के राजनैतिक विश्वास एवं अभिरुची से जुडा होता है, चुनाव का उदार सिध्दान्त जो की मतदाता के वोट को उसके तर्कयुक्त पसंत या उम्मीदवार अथवा पार्टी के लिए अभिरूची से जोडता है, वह महिलाओ के वोट डालने के व्यवहार के लिए तर्क सिध्द नही है।

यद्यपि बहुतही कम स्त्रियो को अपने पिता की सम्पत्ती मे से भाग लेने का अध्किार ज्ञात है, किन्तु अपने पति की सम्पत्ती मे से अपने भाग के अधिकार का ज्ञान अधिकांश ८०टक्के महिलाओं को प्राप्त होता है। थोडी संख्यामे अर्थात एक तिहाई महिलाओं को अपने पती की संम्पत्ती मे उत्तराधिकार प्राप्त होता है, जबकी पिता की संपत्ती मेसे भाग प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या नगन्य मात्र ही होती है। कामकाजी महिलाए भी गृहकार्य एवं गृहस्थी—निर्माता के रुपमें अपनी भूमिका का मूल्यांकन उतनी ही सापेक्षता से करती है, जितनी की घरेलू महिलाओं, कमाकाजी महिलाओं मे से दस में से नौ अपनी आय से असन्तुष्ट होती है।

संशोधन पध्दती : संशोधन विषय के अनुसार तथ्य संकलन के लिए दुय्य साधन सामुग्रीका उपयोग किया है पाठ्य पुस्तके, मासिक, संदर्भ ग्रंथ, दैनिक पेपर और इन्टरनेट इ.

महिलाओं के विरुध्द हिंसा की प्रकृती, विस्तार एवं विशेषताएँ :

महिलाओं के विरुध्द होनेवाली हिन्सा को तीन भागोंमे वर्गीकरण किया जाता है।

१. अपराधीक हिन्सा तथा अपहरण, बलात्कार एंव हत्या

२. घरेलु हिन्सा, पत्नी को मार पीटना, लैंगिक दुर्व्यव्यवहार करना, दहेज सबन्धी, मृत्यु एवं विधवाओं तथ वृध्द महिलांओ के साथ दुर्व्यवहार करना

३. सामाजिक हिन्सा तथा पत्नी या पुत्र वधु को मादाभ्रुण की हत्या करने अर्थात गर्भपात के लिए बाध्य करना.

परिवार की संम्पति में से महिलाओ को उनका हिस्सा देने से मना करना महिलाओं से अश्लील छेडछाड करना विधवा स्त्री को सती हो जाने के लिए बाध्य करना, पत्नी या पुत्र वधु को और भी अधिक दहेज लाने के लिए सताना या उत्पीडीत करना आदी।

१. बलात्कार :

गरीब लडकियॉ ही बलात्कार का शिकार नही होती, बल्कि मध्यमवर्गीय महिला, कर्मचारी / श्रमिको को भी मालिको के व्दारा लैंगिक अपमान का शिकार बनना पडता है। इतना ही नही, जेल में कैद महिलाओ के साथ कारागार निरिक्षको/ अधीक्षको व्दारा भी बलात्कार की घटनाऐं होती है। संदिग्ध महिला अपराधियो के साथ पुलिस अधिकारीयोंव्दारा, महिला मरीजों के साथ अस्पताल के डॉक्टरो एंव कर्मचारीओंव्दारा ठेकीदारोंव्दारा, गुंगी, बहरी, आन्धी, पागल, अपंग, भिखारीनो तक भी नही छोडा जाता है।

२. अपहरण एवं भगा ले जाना :

१८ वर्ष से कम आयु की लडकी वा १६ से कम आयु के लडके को उसके कानुनी अभिभावक की सहमति स्वीकृति के बिना ले जाना कुफुलाने को 'अपहरण' कहते है, जबकि भगा के जाने का तात्पर्य है एक महिला/स्त्री को इस उद्देश से जबरदस्ती धोकेबाजी का कपटपूर्ण तरीके से ले जाना कि उसे बहका करके उसके साथ अवैध मैथुन किया जाये अथवा उसकी इच्छाके खिलाफ उसे किसी व्यक्ती के साथ रहने या विवाह करने के लिए बाध्य किया जाये। स्पष्ट है की अपहरण मे उत्पीडन की सहमती का महत्व नही होता जबकि भगा ले जाने में उत्पीडक की स्वैच्छिक सहमति अपराध को माफ करा देती है।

३. हत्या :

यद्यपि लिंग के आधार पर हत्याओं तथा उनके शिकारो/पीडितो से संम्बधित अखिल भारतीय स्तर के ऑकडे तो नही उपलब्ध है, तथापी, यह निश्चित है की, मानव हत्या के मादा शिकारो की संख्या ही अधिक है। लगभग ९४ टक्के मामलो मे हत्यारे और उनके शिकार एक उक ही परिवार के होते है, लगभग ८० टक्के मामलो मे हत्यारे २५ से ४० वर्षो के आयु समुह के होते है। हत्या की लगभग आधी शिकार औरते होती है, जिनके पुरुष हत्यारे से लगभग पाच वर्षे से भी अधिक पुराने सबन्ध होते है।

४. दहेज सबन्धी हत्याये Dowry Related Murders :

अनुमान किया जाता है की देशमें प्रतिवर्ष दहेज से संबन्धीत लगभग ५—६ हजार गृहलक्ष्मीयों की हत्या कर दी जाती है। लगभग ७० टक्के पिडीत स्त्रियो २१ से २४ वर्ष आयु समुह की होती है। मात्र शारीरिक रुपसे ही नही बल्कि सामाजिक एवं भावनात्मक रुपसे भी परिपक्व होती है, दहेज की समस्या का प्रचलन उच्च जातियो मे ही अधिक है, वास्तविक हत्या के पूर्व वधू को अनेक प्रकारसे सताया /अपमानित /डराया धमकाया /उत्पीडित किया जाता है, दहेज हत्या के कारणो मे एक महत्वपुर्ण सामाजिक कारण अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है।

५. पत्नी को मारना पीटना (Wife Battering):

जो पत्नीयॉ अपने पतिसे पॉच वर्षे से अधिक छोटी होती है, उन्हे पति व्दारा पीटे जो की सम्भावना /खतरा अधिक होता है। परिवार के आकार एवं संरचना का पत्नी के पीटने से कोई संम्बन्ध नही होता। यौन— असमायोजन, भावात्मक असन्तुलन, गडबडी, पति का गर्व अहम या हीन भावना, पति का मद्यपी, इर्ष्या और पत्नी की निष्क्रिय कायरतादि, पीटने वाले पति की बालयावस्था मे हिन्सा की विपदग्रस्तता भी पत्नी को पीटने का एक प्रमुख कारण है।

समस्या की उपाय योजनाऐं (Solution of the Problem):

महिला पीडितो की मदद करना उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना, उन्हें संरक्षण देणा आदि प्रारम्भ से ही महिला संगठनों राजकीय एवं निजी संस्थाओं का कार्या रहा है। कुछ महिलाओ को आश्रय की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। महिला संघटन भी अनेक स्त्रियों के दुख को दूर कर सकते है, यदि उन्हें अल्पकालिक आवास की सुविधाये प्रदान करे विशेष रूप से विवाहित महिलाओ को जो कष्ट मे है या बलात्कार भगावे जाने या मार डालने की कोशीस जैसे हिंसाओ की शिकार हो चुकी है।

पीडित महिलाओ को इसकी भी आवश्यकता है की उनकी रोजगार खोजने, बच्चो की देखभाल करणे की सुविधाओ की उपलब्ध कराने, अस्थाई रुपसें वित्तीय सहायता दिलाने में सहायता की जाये। स्वयंसेवी संगठनो की, जो स्त्रियो की निजी समस्यायो के संदर्भ में उनकी ससुराल वालो या पुलिस आदालतो से अथवा सम्बधित व्यक्तियोसे बात करके सशक्त बनना एवं उनकी संख्या बढाना भी आवश्यक हो गया, क्योकी एक एकेली महिला की बात को कोई महत्व नही दिया जाता, ऐसी महिला यदि अपने अधिकार मांगती है, जो पीडित महिलाओ को मुक्त कानुनी सहायता और सुरक्षा दे, ताकि निर्धन एवं असहाय स्त्रियॉ भी लाभन्वित हो सके। अन्त मे महिलाओ के मामलो में माता पिता के विचारो में परिवर्तन होना भी आवश्यक है। उन्हे समझना होगा कि विवाह करने बाद भी पुत्री के प्रति उनके दायित्व समाप्त नही हुए है, उन्हे आगे बढकर पुत्रियो की खुलकर सहायता करनी चाहिए, उनके अधिकारो की लढाई लडनी चाहिए। इसी प्रकार महिलाओ को भी अत्याचारो का खुलकर सामना करना चाहिए। उन्हे जीवन मे प्रति एक अशावादी दृष्टिकोन का विकास भी करना चाहिए।

संदर्भ

१.डॉ.ओ.पी. वर्मा, भारतीय सामाजिक समस्याऍं, विकास प्रकाशन कानपुर २००४

२. प्रा.रा.ज.लोटे, भारतातील सामाजिक समस्या, पिंपळापुरे ॲण्ड के. पब्लिशर्स, नागपुर १९९९

३. डॉ.दा.धो. काचोळे, ग्रामीण नागरी प्रश्न आणि समस्या, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद २०१४